संख्याः 9 /2025 / 73 /छिहत्तर-1-2025-1739613

प्रेषक

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक २५ जनवरी, 2025

विषयः- "उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण अनुरक्षण नीति-**2024** " के अनुसार विभिन्न ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष भुगतान प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4056/ई-2 (O&M)/2024-25/Fin-3 दिनांक 13 जनवरी, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से "उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण अनुरक्षण नीति-2024 " के अनुसार विभिन्न ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त "उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण अनुरक्षण नीति-2024 " के अनुसार विभिन्न ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष भुगतान किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए उपलब्ध कराये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर एतदद्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

1. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल परियोजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित बिलों के भुगतान हेतु पी०एफ०एम०एस० पोर्टल पर स्टेट स्कीम (Operation & Maintenance (O&M) of PWS) Create/map की जायेगी।
2. ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के भुगतान सम्बन्धी प्रविष्टियों का पी०एफ०एम०एस० पोर्टल पर ऑनलाइन इन्ट्री जनपद स्तर पर सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/ अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा किया जायेगा।
3. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित बिल वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप upjnr-kautilya.in

के EMB Billing system अथवा अन्य पोर्टल, जो विभाग द्वारा विकसित किया जाये, पर अपलोड किया जायेगा। जो बिल पोर्टल पर अपलोड नहीं होंगे उनका भुगतान नहीं किया जायेगा।

4. संचालन एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित बिलों के परीक्षणोपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / अधिशासी अभियन्ता उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा विभागीय पोर्टल upjnr-kautilya.in के EMB Billing system अथवा अन्य पोर्टल, जो विभाग द्वारा विकसित किया जाये, पर निर्धारित प्रारूप पर Final Calculation sheet तैयार कर PFMS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा। अधिशासी अभियन्ता उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)/ सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा बिल/वाउचर संरक्षित किये जायेगें।
5. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन PFMS पोर्टल के Admin होंगे एवं अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को संचालन एवं अनुरक्षण के भुगतान हेतु बिल अपलोड किये जाने के लिए मांग के समतुल्य लिमिट (Limit) निर्गत की जायेगी।
6. सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) जनपद स्तर पर PFMS पोर्टल के संचालन हेतु डाटा ऑपरेटर (DO) होंगे। अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (Admin) द्वारा डाटा ऑपरेटर (DO) को User ID एवं Password निर्गत किये जायेगे।
7. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर PFMS पोर्टल के संचालन हेतु वित्त निदेशक/ वित्त नियंत्रक डाटा अप्रूवर (DA) होंगे। वित्त निदेशक / वित्त नियंत्रक के Digital Signature Certificate (DSC) को DA की ID में मैप किया जायेगा।
8. जनपद स्तरीय डाटा ऑपरेटर (DO) द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित भुगतान की प्रविष्टियां (Booking) PFMS के माध्यम से की जायेगी।
9. भुगतान के संबंध में सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) डाटा ऑपरेटर (DO) द्वारा की गई प्रविष्टियों को डाटा अप्रूवर (DA) द्वारा DSC के माध्यम से Approve किया जायेगा।
10. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के स्तर से किये गये समस्त भुगतान की प्रविष्टियों एवं की जाने वाली कटौतियों की सत्यता एवं शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) का होगा।
11. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर Statutory deductions (TDS- GST etc) का भुगतान प्रत्येक माह राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संबंधित को किया जायेगा।
12. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराये गये प्रारूपों पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर बैंक समाधान विवरण (Reconciliation) सम्बन्धी कार्य राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जायेगा।

13. ऐसी समस्त ग्रामीण पाइप पेयजल योजनायें, जिनका निर्माण कार्य राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा इम्पैनल्ड फर्मो / कन्ट्रेक्टरों के माध्यम से नहीं कराया जा रहा है एवं जो पाइप पेयजल योजनाएं पूर्व में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्मित करायी गई है तथा ग्राम पंचायतों को हस्तगत की जा चुकी है / कतिपय कारणों से ग्राम पंचायतों को हस्तगत नहीं की जा सकी है तथा जिनका संचालन एवं अनुरक्षण उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा किया जा रहा है, के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु मांग के अनुसार उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) को PFMS पर लिमिट (Limit) निर्गत की जायेगी।

14. उक्त समस्त भुगतान "उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण अनुरक्षण नीति-2024" में प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में किया जायेगा तथा भुगतान की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बिलों के भुगतान की स्थापित व्यवस्था से किसी वित्तीय नियम तथा उक्त संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024 का उल्लंघन न हो।

3- अतः अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Ambrish Kumar Singh
Date: 24-01-2025 18:09:20

(डा० अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 9 /2025/ 73 /छिहत्तर-1-2025-1739613

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश। (द्वारा जिलाधिकारी)
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Om Prakash Chauhan
Date: 24-01-2025 18:43:42

(ओम प्रकाश चौहान)
अनु सचिव।